219

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2902–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–1–2015 पारित द्वारा कलेक्टर जिला आगर मालवा, प्रकरण क्रमांक 1/स्व.निगरानी/2014–15 .

....

कालूराम आत्मज भेरूलाल
निवासी ग्राम मालीखेड़ी तहसील आगर मालवा
जिला आगर मालवा

.... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन .... अनावेदक

....

श्री वी0आर0शेख एवं श्री ए0आर0यादव, अभिभाषक–आवेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/5/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला आगर मालवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–01–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार आगर द्वारा कलेक्टर जिला आगर को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि तत्कालीन तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 45/अ–6–अ/11–12 में दिनांक 7–1–2013 को आदेश पारित कर ग्राम मालीखेड़ी स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 527 में से 0.730 हेक्टेयर का पट्टा आवेदक को स्वीकृत किया गया है, जिसमें अनियमितताएं की गई है । उक्त प्रविवेदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार का प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर प्रकरण कमांक 1/स्व.निगरानी/2014–15 दर्ज किया गया एवं दिनांक 8–1–15 को अंतिम आदेश पारित

करते हुये तहसीलदार का आदेश दिनांक 7–1–13 निरस्त किया गया । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) कलेक्टर द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत जबाव को अनदेखा कर आवेदक की अनुपस्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये आदेश पारित किया गया है जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) आवेदक का सर्वे कमांक 527 तथा सर्वे नम्बर 910 शासकीय औषधालय के लिये प्रस्तावित किया गया था, परन्तु औषधालय अन्य स्थान पर बन चुका है । कलेक्टर द्वारा इस स्थिति को अनदेखा कर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

(3) आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि का मूल पटटा आवेदक के पिता के समय से आवेदक को प्राप्त हुआ था और तत्समय से वर्तमान तक प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के कब्जे में चली आ रही है । इस वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करनें में अवैधानिक कार्यवाही की गई है

(4) कलेक्टर द्वारा अभिलेख का अवलोकन किये बिना तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की गई है ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि का पटटा आवेदक के पिता भेरूलाल को वर्ष 1976–77 में दिया गया है और भेरूलाल की मृत्यु हो जाने के पश्चात् नामान्तरण पंजी कमांक 53 पर पारित आदेश दिनांक 8–10–1979 से वारिसाना नामान्तरण भी हो चुका है तब से निरन्तर आवेदक प्रश्नाधीन भूमि पर कृषि कार्य कर रहा है, अतः तहसीलदार द्वारा कलेक्टर के निर्देशों के अनुरूप दिनांक 7–1–2013 को आदेश पारित कर अस्थाई पट्टे को स्थाई किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं होने से तहसीलदार का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है । इस प्रकार कलेक्टर द्वारा तहसीलदार के जिस प्रकरण कमांक

45/अ–6–अ/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 7–1–2013 को स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया गया है, उसके द्वारा आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा नहीं दिया जाकर पूर्व में जारी पट्टे को स्थायी किया गया है । स्पष्ट है कि कलेक्टर के समक्ष तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है । अतः ऐसे प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा की गई स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही एवं पारित आदेश अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण होने से इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। किसी भी व्यक्ति को दिया गया पट्टा तभी निरस्त किया जा सकता है जब कि उसके द्वारा शर्तो का उल्लघंन किया गया हो अथवा पट्टा जारी करने में गंभीर अनियमितता हुई हो । इस प्रकरण में आवेदक द्वारा पटटे की शर्तो का उल्लघंन नहीं किया गया है । कलेक्टर द्वारा जिन आधारों पर तहसीलदार का आदेश दिनांक 7–1–2013 अवैधानिक एवं अनियमित मानकर निरस्त किया गया है, वे आधार उचित प्रतीत नहीं होते हैं, क्योंकि प्रश्नाधीन भूमि का जिस समय आवेदक के पिता को पट्टा दिया गया है, तब वह नगर पालिका की सीमा में नहीं थी । तहसीलदार द्वारा दिनांक 7–1–2013 को आदेश पारित कर पट्टा जारी नहीं कर कलेक्टर के निर्देशों के अनुरूप अस्थायी पट्टे को स्थायी किया गया है । चूँकि जैसा कि उपर विश्लेषण किया गया है कि आवेदक को नये सिरे से पट्टा नहीं दिया गया है, इसलिये शासन द्वारा पट्टे वितरण पर लगाई गई रोक इस प्रकरण में लागू नहीं होती है । दर्शित परिस्थितियों में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किया जाकर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–1–2013 स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला आगर मालवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–01–2015 निरस्त किया जाता है । तहसीलदार, आगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–1–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर